

प्रपत्र नं. 14
[नियमन –33(2) देखें]
वसूली अधिकारी कार्यालय-1/।।
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
डिमांड नोटिस
ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।
RC/124/2026 **22-07-2026**

भारतीय स्टेट बैंक बनाम सनी केम (इंडिया) (उधारकर्ता)

सेवा में,
(सीडी 1) सनी केम (इंडिया) (उधारकर्ता) 554, गली लोधीयान, कृष्ण पति राम, सीता राम बाजार, दिल्ली – 110006 **इसके अलावा:** शंकर, रोड, हनुमान मंदिर के पास, गाँव डुंडाहेड़ा, गुडगांव, हरियाणा
(सीडी 2) संजय सिंघान (बंधकर्ता एवं गारंटर) पुत्र स्व. श्री बाल किशान सिंघल 554, गली लोधीयान, कृष्ण पति राम, सीता राम बाजार, दिल्ली – 110006
इसके अलावा: शंकर रोड, हनुमान मंदिर के पास, गाँव डुंडाहेड़ा, गुडगांव, हरियाणा
इसके अलावा: सनी ट्रेडिंग शांप नंबर 208, तिलक बाजार, खारी बाबली, दिल्ली-110006
(सीडी 3) रेनु सिंघल (बंधकर्ता एवं गारंटर) पत्नी श्री संजय सिंघल 554, गली लोधीयान, कृष्ण पति राम, सीता राम बाजार, दिल्ली – 110006
यह सूचित किया जाता है कि **पीआरसी अधिकारी**, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (**डीआरटी 2**) द्वारा **TA/1639/2022** में पारित आदेशों के अनुसारन में जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, **₹ 18465334.95 (एक करोड़ चौसीस लाख पचास हजार तीन सौ बीतीस रुपये और पचासवें पैसे मात्र)** की राशि, बकाया और भविष्य के व्याज सहित **24/02/2016** से वसूली तक **₹12.70 %** साधारण सालाना व्याज और **रुपयें 1500000 (केवल एक लाख पचास हजार रुपये)** की लागत आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और पृथक रूप से / पूर्णतः / संश्लिप्त रूप से) देय हो गई है।
2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंक को एवं वितीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **29.09.2026** को प्रातः **10:30 बजे** अधोहरताक्षरी के सम्भा आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हो।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) इस तरह के व्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।
(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 22.07.2026 को दिया गया।

हस्ता /—
वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)

दि फेडरल बैंक लि.
एलओआरडी डिवीजन /नई दिल्ली
यू.जी.एफ., फेडरल टोवर, 2/2
वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
फोन नं. 011-40733980, 40733978
ई-मेल: ndilrdo@federal.bank.in
CIN:L65191KL1931PLC0003

फेडरल बैंक

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के साथ पठित प्रभितृपति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना
(1.) श्री/ श्रीमती हरेंद्र कुमार, पुत्र अशोक कुमार, मकान नं. 69-बी, 47वीं तल, नवगुरु ब्लॉक, विष्णु गार्डन, तिलक नगर, बंदना मॉडल स्कूल के पास, नई दिल्ली-110018

आपने मूल ऋणी के रूप में फेडरल पर्सनल कार लोन (एफपीसीएल) संख्या 16787400002949 के अंतर्गत रु. 8,73,632/- (रुपये आठ लाख त्रिहसर हजार छह सौ बत्तीस मात्र) की ऋण सुविधा दिनांक 28.12.2025 को फेडरल बैंक लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय असुवा में है (जिसे आपे "बैंक" कहा गया है), की नई दिल्ली/पंजाबी बाग शाखा के माध्यम से कार खरीदने हेतु आवश्यक प्रतिभूति एंटीमेन/ऋण दस्तावेज बैंक के पक्ष में निष्पादित करने के पश्चात प्राप्त की थी।

बैंक से प्राप्त उपर्युक्त ऋण सुविधा की प्रतिभूति के रूप में, आपने निम्नलिखित चल संपत्ति के संबंध में दृष्टिबंधक के माध्यम से बैंक के पक्ष में प्रतिभूति सह सृजित किया है।

दृष्टिबंधक चल संपत्ति का विवरण

हुडई एक्सटर 1.2MT कम्पा SX टैक डुअल CNG BSVI का हाइपोथेकेशन, वैरिस नंबर MALB381CLSM5214151, इंजन नंबर G4LASM549021, 2025 मॉडल, पेट्रोल(ई20)/सीएनजी, एटलस व्हाइट रंग, रजिस्ट्रेशन नंबर DL12DA3532

उपर्युक्त दृष्टिबंधित प्रतिभूति संपत्ति को इसके पश्चात "प्रभितृ परिसंपत्तियां" कहा जाएगा। अधोहरताक्षरी, फेडरल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, एतद्वारा आपको सूचित करता है कि बैंक की नई दिल्ली/पंजाबी बाग शाखा में अनुरक्षित आपके फंड कार ऋण के अंतर्गत दिनांक 15.08.2026 को आपसे राशि रुपये 8,64,967.00 (रुपये आठ लाख तीसस हजार नौ सौ सड़स मात्र) काल देय है।

पुनर्मुद्राणन में चूक के कारण, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपका ऋण सप्ता /खाते दिनांक 13.08.2026 को गैर-निष्पादित आरित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आपको एतद्वारा उक्त राशि, दिनांक 15.08.2026 से भुगतान की तारीख तक आपके फंड कार ऋण में 8.25% प्रतिवर्ष की दर से मासिक विश्राम सहित आपके का व्याज तथा अतिरिक्त दंडात्मक प्रभार और लागत सहित, इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर बैंक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आपके विरुद्ध तथा उपर्युक्त वर्णित प्रभितृ परिसंपत्तियों के विरुद्ध सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें उनका कब्जा लेना तथा उन्हें पड़े समनुदेशन या बिचो के माध्यम से अंतरण करने का अधिकार अथवा प्रभितृ परिसंपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना, आपके लिए बिना किसी और सूचना के, बकाया राशि की वसूली के लिए शामिल है।

आपको सूचित किया जाता है कि आप बैंक की लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त वर्णित प्रभितृ परिसंपत्तियों में से किसी को भी बिक्री, पट्टे या अन्य संस्था के माध्यम से अंतरित नहीं करेंगे। आपकी देयता का निर्वहन करने में आपकी ज़िम्मेदारी तथा बैंक द्वारा ऊपर उल्लिखित उपचारवाक्य कार्रवाई आरंभ किया जाने की स्थिति में, आप उस संबंध में बैंक द्वारा किए गए सभी लागत, प्रभार और व्यय का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे। यदि प्रभितृ परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि से बकाया शेष पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती है, तो बैंक बिना किसी और सूचना के शेष राशि की वसूली के लिए आपके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करेगा। आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13(६) के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूत परिसंपत्तियों (प्रतिभूति संपत्तियों) के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में हैं।

यह सूचना बैंक को अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी की जाती है।

यह सूचना 15 सितंबर 2026 के दिन जारी की गई थी और वही आपको तामील की गई थी, किंतु प्रतितृ तहत है कि आपको प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण सरफेसी अधिनियम के अनुसार इस प्रकाशन की आवश्यकता हुई।

आप दिनांक **05 अक्टूबर 2026** **बूने दि फेडरल बैंक लिमिटेड,**
(सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी)

कार्यालय वसूली अधिकारी-।।
ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिलली-110001
R.C. No. 112/2020 **आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत** **दिनांक : 23.09.2026**
ई-निलामी बिक्री सूचना
बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
मैसर्स गोयल एक्सिम (।) प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य
"अदेय"
दिनांक **23.09.2026** के आदेशानुसार निम्नांकित सम्पत्तियों की सार्वजनिक ई-निलामी दिनांक **04.11.2026** उल्लेखित ऋण वसूली प्रमाण पत्र में

लॉट सं	संपत्ती का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	जमा धरोहर राशि (रु. में)
1.	प्राइवेट नंबर 317 एवं 318, 4 मंजिला इमारत का हिस्सा, पुराना नंबर XVI/2697, प्लॉट नंबर 23 एवं 24 में शामिल, क्षेत्रफल 815 वर्ग फुट, म्युनिसिपल नंबर XVI/2679-80, 2678/1-4, खसरा नंबर 213 एवं 214, ब्लॉक-L, नाईवाला एस्टेट, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, श्रीमती रीना गोयल के नाम पर।	1,87,00,000/-	18,70,000/-
2.	249 एवं 250 पर स्थित फ्रीहोल्ड संपत्ति, दूसरी मंजिल, (4 मंजिला इमारत का हिस्सा), ब्लॉक-M, एमपीएल नंबर 2633 एवं 2634, चार्ड नंबर XVI, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, क्षेत्रफल 1159 वर्ग फुट, प्राइवेट नंबर 204, श्रीमती सोनिया गोयल के नाम पर।	2,61,00,000/-	26,10,000/-
3.	कमर्शियल स्पेस प्राइवेट नंबर 302, म्युनिसिपल नंबर XVI/2633 एवं XVI/2634, तीसरी मंजिल, प्लॉट /खसरा नंबर 249 एवं 250, ब्लॉक-M, बैंक स्ट्रीट, नाईवाला एस्टेट, करोल बाग, दिल्ली-110005।	2,61,00,000/-	26,10,000/-
4.	कमर्शियल फ्रीहोल्ड संपत्ति नंबर 2202, पहली मंजिल, खसरा नंबर 548, ब्लॉक-J, गली नंबर 63-64, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट, मेसर्स पीएलबी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर।	2,08,00,000/-	20,80,000/-
5.	कमर्शियल स्पेस प्राइवेट नंबर 304, म्युनिसिपल नंबर XVI/2633 एवं XVI/2634, तीसरी मंजिल, प्लॉट /खसरा नंबर 249 एवं 250, ब्लॉक-M, बैंक स्ट्रीट, नाईवाला एस्टेट, करोल बाग, दिल्ली-110005।	2,84,00,000/-	28,40,000/-

नियम व शर्तें

- इस विक्रय को निश्चित करने वाले नियम एवं शर्तें इस सूचना में तथा वसूली अधिकारी द्वारा जारी विक्रय उद्घोषणा में वर्णित अनुसार होंगी। नीलामी एवं बोली प्रक्रिया केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वेबसाइट <https://baanknet.com> के द्वारा ही संपन्न की जाएगी। सम्भावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण, उपयोक्ताता पहचान संस्था तथा बोली प्रक्रिया संबंधी परिचयनाम विकरण हेतु बैंकनेट पोर्टल का अवलोकन करें।
- इच्छुक बोलीदाताओं को ई-निलामी में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत एवं में अपना पंजीकरण करार उपयोक्ताता पहचान संस्था तथा कूटशब्द प्राप्त करना होगा। यह केवल तब प्राप्त किया जा सकेगा जब निर्धारित स्थिति से अपेक्षित बयाना धनराशि जमा कर दी गई हो।
- बयाना धनराशि निर्धारित स्थिति के अनुसार बैंकनेट पोर्टल के माध्यम से दिनांक **02.11.2026** को अपराह्न **04.00** बजे तक जमा की जाएगी। बैंकनेट पोर्टल, संबंक्षित बैंक के समन्वय से, समस्त इच्छुक बोलीदाताओं की सूची आवश्यक विकरण सहित आवश्यक अनुमोदन एवं दिनांक **03.11.2026** को अपराह्न **04.00** बजे तक वसूली अधिकारी को अर्पित करेगा। नीलामी के संचालन से संबंधित सभी मामलों में आवश्यक अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के उपबन्ध तथा वसूली अधिकारी के निर्देश, बैंकनेट पोर्टल के नियम एवं शर्तों पर ध्यान देंगे। पंजीकरण, उपयोक्ताता पहचान संस्था तथा बोली प्रक्रिया संबंधी परिचयनाम विकरण के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंकनेट पोर्टल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा वही ऑनलाइन सहायता दूरभाष क्रमोंको पर पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं।
- स्थायी खाता संख्या जारी की जाएगी, पाते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, ई-मेल पता, मोबाइल संख्या तथा यह घोषणा कि वे स्वयं की ओर से बोली लगा रहे हैं अथवा अपने प्रभार की ओर से। बाद की स्थिति में, उन्हें अपना प्राधिकार-पत्र जमा करना होगा, अन्यथा उनकी बोलियाँ अस्वीकार कर दी जाएंगी। कंपनी के मामले में, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी का प्रतिनिधित्व / मुख्यालय की मुद्रित प्रतय वाला कोई अन्य दस्तावेज तथा ऐसी जमा की रसीद / प्रति दिनांक **03.11.2026** को अपराह्न **04.00** बजे तक उक्त सेवा प्रदाता अथवा सीए बैंक को ई-मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से भेजना हो जानी चाहिए तथा उसकी हार्ड प्रत वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- मात्री बोलीदाता सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ई-नीलामी एवं बोली प्रक्रिया बैंकनेट (बैंक परिसंपत्ति नीलामी मेटवर्क) ई-नीलामी पोर्टल <https://baanknet.com> के माध्यम से संपन्न की जाएगी, जिसका संचालन पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वेबसाइट: <https://baanknet.com> ई-मेल पता: support.baanknet@psb alliance.com संपर्क व्यक्ति: श्री करण पटेल, मोबाइल नं: 9327493060, सहायता संपर्क संख्या: +916291220220, एच बी उदय जामर, प्राधिकृत अधिकारी, BAANKNET, मोबाइल नंबर 9820878255 पता: चंनरी पीएलबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई 1, तृतीय तल, बीआईओएस कमर्शियल टॉवर, बंडाला ट्रक टर्मिनल के निकट, बंडाला (पू), मुंबई – 400034
- मात्री निर्देशिका हेतु इच्छुक बोलीदाताओं के लिए दिनांक **22.10.2026** एवं **23.10.2026** को प्रातः **11.00** बजे से अपराह्न **4.00** बजे तक संचालित रहेगी। किसी भी प्रकार की जानकारी एवं संपत्ति के निरीक्षण के लिए **इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी मुख्य प्रबंधक श्री वैभव गुप्ता, सीएच बैंक का नंबर 981055506** पर संपर्क कर सकते हैं।
- संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।
- बोलीदाता द्वारा अपनी बोली में प्रत्येक वृद्धि रुपये 5,00,000 /- (रुपये पांच लाख मात्र) (प्रत्येक लॉट के लिए) के गुणकों में की जाएगी।
- संपत्ति का विक्रय "जहाँ है जहाँ है" तथा "जो है जैसा है" के आधार पर किया जाएगा।
- बोलीदाता को अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जिसे आगले दिन अर्थात् अपराह्न **4.00** बजे तक सीलबंद लिफाफे में वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के समक्ष जमा करना होगा।
- उपरोक्त सूचनायों के बोलीदाता संपत्ति के विक्रय की स्थिति से 15दिन तक इस अवका उपरसे पूर्व अधि बोली राशि का शेष 75% जमा करेगा। यदि 15दि दिन स्थितवा अथवा अन्य अवकाता का दिन हो, तो 15दि दिन के उपरांत प्रभार बैंक कार्यालयिक पर, उपर्युक्त अनुबंध में वर्णित निर्धारित स्थिति से उक्त राशि जमा करेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऋण वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।। के समक्ष पालटवक शुल्क भी जमा करेगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा, जो रु.5,000 /- तक की राशि पर @2% तलक रु.1,000 /- से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
- उपरोक्त सूचनायों में भुगतान न करने पर, उक्त संपत्ति की वसू-बिक्री नई उद्घोषणा जारी करने की जाएगी। उस स्थिति में चुककाता ऋण के द्वारा जमा की गई अधोहरताक्षरी याद दिलाते पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी-